5 रु कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी 443-III-15

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2015 शिवपुरी

जयन्त शर्मा पुत्र श्री प्रदीप शर्मा,
निवासी-एच.आई.जी. दीनदयालपुरम, झांसी रोड, शिवपुरी

श्री कुंवर सिंह एड. द्वारा आज दि. 27-2-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

..... आवेदक

बनाम

1. गोविन्द सिंह सेंगर पुत्र गणेश सिंह सेंगर निवासी-न्यू ब्लॉक, शिवपुरी
2. म.प्र.शासन

..... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश तहसीलदार शिवपुरी के प्र. क्र. 37/2013-14/अ-6आदेश दिनांक 21.08.2014 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 19.02.15 को पारित।

श्रीमान् जी,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि, विवादित आराजी ग्राम शिवपुरी टुकड़ा नं. 2 के सर्वे क्रमांक 22 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा, सर्वे नं. 23 रकवा 19 कुल भूमि 2 बीघा 5 विस्वा यानि खसरा फार्म पी-II के अनुसार 0.199 क्षेत्रफल का भूमि स्वामी निगरानीकर्ता को द्वारा पूर्व भूमि स्वामी हितशरण शर्मा ने सन् दिनांक 19.09.1964 को क्रय की, उसके क्रय के उपरान्त हितशरण शर्मा ने अपने स्वत्व, स्वामित्व की आराजी को अपने पुत्र प्रदीप शर्मा को दिनांक 30.05.2013 पॉवर ऑफ अटार्नी दे दी, प्रदीप शर्मा ने पॉवर ऑफ अटार्नी के आधार पर अपने पुत्र जयन्त शर्मा को उक्त आराजी दिनांक 05.10.2013 को विक्रय कर दी तब से उक्त आराजी दि. 02.02.2015 फार्म पी-II खसरा की नकल से ज्ञात हुआ कि कॉलम नं. 12 में अन्यत्र की आदेश की प्रविष्टि होने से ज्ञात हुआ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 443–तीन/2015 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरें अभिभाषव के हस्ताक्षर	वं आदि
19–11–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार शिवपुरी जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 37/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 21–8–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में 27–2–15 को प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 21–8–14 के द्वारा आवेदक का नाम इन्द्राज करने का अंतिम आदेश पारित किया है। तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। आवेदक अपील करने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को ग्राह्य करने का कोई औचित्य प्रथमदृष्टया प्रतीत नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य		